FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग

बृजेश देवी बनाम हरी सिंह

मुकदमा किस्म:- अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. नम्बर :-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.08.2025	सायला के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पर सायला के विद्वान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। सायला के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं क्षति सायला के पक्ष में प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए दर्ज रजिस्टर किया जावे। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैर सायल इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 2652/0.40, 2653/0.36, 2656/0.20, 4136/2634/0.2026, 4138/2655/0.6068,वाके कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग में स्थित आराजीयात पर **रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु** गैर सायल को आगामी आदेश तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। गैर सायल की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से कराई जावे। यदि उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आयन्दा पत्रावली वास्ते तलवी गैर सायलान रजिस्टर्ड ए.डी.कराई जाकर दिनांक 26.09.2025 को पेश हो। (देवी सिंह) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग	
14/8/25	आज यह पत्रावली वादिया, प्रार्थिया के प्रा० पत्र पर पेश की गई। वादिया ने अपने प्रार्थना पत्र प्रा० पत्र 212 को वापस खारिज करने का अनुरोध किया है अतः यह प्रा० पत्र को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुदा होकर नत्थी दाखिल दफ्तर हो।	Identified by me

उपखण्ड अधिकारी
डीग जिला डीग(राज०)